राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4680/2022

मोहम्मद उमर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संकूल जयपुर।
4. जमील अहमद, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संकूल जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2022
आदेश की दिनांक : 02.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्ष 2018–19 रिक्ति के विरूद्ध प्राचार्य के पद के लिए अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दर्शित नहीं किया गया। वर्ष 2013–2014 की व्याख्याता ऊर्दू विषय की रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता ऊर्दू के पद पर पदोन्नति देने एवं उसके परिणामस्वरूप प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु तैयार पात्रता सूची में अपीलार्थी का उचित स्थान पर नाम शामिल करने (अब्दुल सलीम से उपर एवं मौहम्मद सलीम से नीचे पात्रता सूची में क्रम संख्या 3201 से उपर) हेतु यह अपील दायर की गई है। पात्रता सूची अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 08.11.2000 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था और उनकी पोस्टिंग कोटा

डिवीजन में दी गई थी। उसके बाद अपीलार्थी को जयपुर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 21.09.2004 कार्यभार ग्रहण किया। इसलिए जयपुर डिवीजन में उनकी वरिष्ठता वर्ष 2004–2005 में उस उम्मीदवार से पहले निर्धारित की गई थी जो वरिष्ठता संख्या 273 पर था। दिनांक 28.08.2014 के आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की वरिष्ठता स्थिति मद क्रमांक 1038–1 से पूर्व पर थी। जिसे दिनांक 06.05.2015 के आदेश द्वारा निर्धारित किया गया था (अनुलग्नक–4)। राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची जो कि व्याख्याता पद पर पदोन्नति का आधार है, में अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारित करने से पहले व्याख्याता पद की डी.पी.सी. दिनांक 22.02.2015 को आयोजित की जा चुकी थी और दिनांक 23.03.2015 को पदोन्नति सूची भी जारी कर दी गई थी। चूँकि दिनांक 28.08.2014 के आदेश के बावजूद दिनांक 23.03. 2015 को जारी डीपीसी पदोन्नति सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया था। इसलिए अपीलार्थी ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को 24.03.2015 को एक अभ्यावेदन/परिवेदना प्रस्तुत की (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी के अभ्यावेदन/परिवेदना पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 06.05.2015 जारी किया गया जिसमें वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को उचित स्थान दिया गया तथा वरिष्ठता सूची में नाम अंकित किया गया। अपीलार्थी का उल्लेख वर्ष 2004–2005 में वरिष्ठता क्रमांक 1083–1 पर अंकित किया गया था। वरिष्ठ शिक्षक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को उचित वरिष्ठता प्रदान करने की इस प्रक्रिया के बावजूद अपीलार्थी को परिणामी लाभ नहीं दिए गए, जिन्हें रिव्यू डीपीसी आयोजित करके आदेश पारित करने के माध्यम से प्रदान किया जाना आवश्यक था। उर्दू विषय में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विनम्र अपीलार्थी कम से कम उस तारीख से व्याख्याता उर्दू के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है, जिस तारीख से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा लगातार उत्तरदाताओं से निवेदन करने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए फीडिंग चैनल व्याख्याता है। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पद पर सभी पदोन्नति उन उम्मीदवारों से की जानी है जो वरिष्ठता के अनुसार व्याख्याता का पद संभाल रहे हैं, पदोन्नति का मानदंड केवल वरिष्ठता है। चूंकि व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का आदेश दिनांक 23.03.2015 में अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं दी गई थी और बाद में उन्होंने दिनांक 06.05.2015 के आदेश के तहत वरिष्ठ शिक्षक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम जोड़ा है, अतः यह स्वाभाविक और स्पष्ट है कि इसका परिणाम रिव्यू डीपीसी आयोजित करना और अपीलार्थी को उर्दू विषय के व्याख्याता की पदोन्नति सूची में उचित स्थान पर रखना

था। चूँकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 जमील अहमद अपीलार्थी से बहुत कनिष्ठ था क्योंकि वह वर्ष 2007–2008 में नियुक्त किया गया था। इसलिए अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी से ठीक ऊपर रखा जाना था। श्री जमील अहमद को वरिष्ठता सूची में और पदोन्नति सूची में भी शामिल किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए डीपीसी आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा व्याख्याता की वरिष्ठता सूची भी उन उम्मीदवारों की पात्रता सूची के नाम पर जारी की गई है जो पद पर पदोन्नति के हकदार हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी ने भी ईमेल के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। ईमेल रसीद और अभ्यावेदन की प्रति अनुलग्नक–6 पर संलग्न है। वर्ष 2013–2014 की डीपीसी के विरुद्ध पदोन्नति देने के बजाय, अपीलार्थी को वर्ष 2018–2019 की डीपीसी के विरुद्ध व्याख्याता के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई (अनुलग्नक–7)। शकील अहमद, जो अपीलार्थी से काफी कनिष्ठ है और वर्ष 2008–2009 में वरिष्ठ शिक्षक के बैच से संबंधित है, को डीपीसी वर्ष 2014–2015 के माध्यम से व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया है एवं वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्त वर्ष 2007–2008 के अभ्यर्थी को भी वर्ष 2013–2014 की डीपीसी के विरुद्ध उर्दू विषय में व्याख्याता पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ अभ्यर्थियों को वर्ष 2013–2014 और 2014–2015 की डीपीसी के विरुद्ध व्याख्याता के रूप में पदोन्नति दी गई है। इसलिए अपीलार्थी वर्ष 2004–2005 के अनुसार अपनी नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ हैं। अपीलार्थी उर्दू विषय में व्याख्याता के रूप में पदोन्नति पाने का कम से कम उन लोगों से पहले हकदार है, जो वर्ष 2007– 2008 में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। इस प्रकार अपीलार्थी भी डीपीसी वर्ष 2013–2014 के तहत व्याख्याता उर्दू के रूप में पदोन्नति पाने का हकदार है। क्योंकि निजी प्रत्यर्थी जमील अहमद को भी आदेश दिनांक 30.05.2015 द्वारा वर्ष 2013–2014 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। उनके नाम के सामने डीपीसी वर्ष भी 2013–2014 अंकित है। अपीलार्थी को डिवीजन जयपुर की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 273 से पहले वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया था, जिसके अनुसार राज्यवार वरिष्ठता सूची में रखा जाना आवश्यक था और वर्ष 2004–2005 के उम्मीदवार, मो. सलीम आइटम नंबर 968 को पदोन्नति दी गई क्योंकि व्याख्याता पद पर वर्ष 2004–2005 का अंतिम उम्मीदवार था, इसलिए अपीलार्थी वर्ष 2013–2014 में उसके बाद पदोन्नति पाने का हकदार है। इसलिए रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी को मोहम्मद सलीम के नीचे या उपर रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी का नाम वर्ष 2013–2014 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया है और उस पर अभी भी विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी को वर्ष 2018–2019 में पात्र माना गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वर्ष 2013–2014 के लिए व्याख्याता विषय उर्दू के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित करने का निर्देश दिया जाकर तदनुसार वरिष्ठ होने के नाते अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरुद्ध उर्दू विषय में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति देने का भी निर्देश दिया जावे। साथ ही अपीलार्थी को व्याख्याताओं की पात्रता सूची में उचित स्थान पर करने का निर्देश दिया जाकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति यानी मोहम्मद सलीम से ऊपर या नीचे के स्थान पर रखा जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जा सकता है कि वर्ष 2013–2014 के व्याख्याता विषय उर्दू के पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित किए बिना आगे कोई पदोन्नति न दी जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2018–2019 में प्रदान की गई। पदोन्नति के आधार पर वर्ष 2018–2019 की वरिष्ठता सूची में नामांकन का अधिकार धारित करता है, इसलिए अपीलार्थी का नामांकन उक्त सूची में किया गया है। वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.02.2015 को आयोजित की गई। उक्त दिनांक तक राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नामांकन उपलब्ध नहीं था इसलिए अपीलार्थी को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं था। अपीलार्थी का राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में नामांकन, आदेश दिनांक 06.05. 2015 के द्वारा किये जाने के उपरांत वर्ष 2015–2016 से वर्ष 2017–2018 तक आयोजित डीपीसी में अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र नहीं पाया गया और ना ही उक्त वर्ष की डीपीसी में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई, वर्ष 2015–2016 से वर्ष 2017–2018 तक आयोजित डीपीसी में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता कमाक एवं वरिष्ठता वर्ष निम्नानुसार हैः–

क्रं.सं.	पदोन्नति वर्ष	अन्तिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता क्रमांक एवं वरिष्ठता वर्ष
01	2015–16	1394/2000–2001
02	2016–17	1301/200–2001
03	2017–18	1248/2002–2003

अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांकः– 1038 (1) वर्ष 2004–2005 है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2015–2016 से वर्ष 2017–2018 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी कार्मिक को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, अपीलार्थी वर्ष 2018–2019 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र बना है जिसके आधार पर अपीलार्थी कार्मिक को वर्ष 2018–2019 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। व्याख्याता/प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तरीय पद है तथा द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है। अध्यापक द्वित्तीय

वेतन श्रंखला की समय–समय पर अस्थाई वरिष्ठता सूची उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर जारी की जाकर समय–समय पर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय भाध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है तथा जारी की गई स्थाई वरिष्ठता सूची से ही डीपीसी हेतु पात्रता सूची तैयार की जाती है साथ ही प्रत्यर्थीगण द्वारा विभागीय कार्यप्रणाली के तहत वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि या दर्ज सूचनाओं में संशोधन हेतु एक आवेदन प्रपत्र भी तैयार किया हुआ है जो कि केवल मात्र इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति उपरांत वरिष्ठता सूचियों में आवश्यक इन्द्राज, संशोधन, विलोपन एवं अर्जित की गई योग्यताओं का इन्द्राज करवाया जा सके, वर्णित आवेदन पत्र में अन्य समस्त सुसंगत सूचना का अंकन भी किया जा सकता है जो कि किसी कार्मिक की वरिष्ठता सूची में इन्द्राज किये जाने हेतु आवश्यक है। व्याख्याता पद की पदोन्नति राज्य स्तरीय वरिष्ता सूची में दर्ज नामांकन के आधार पर तैयार की गई पात्रता सूची के आधार पर किया जाता है। डीपीसी दिनांक 22.02.2015 को अपीलार्थी का नाम राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं था तथा उसके उपरांत वर्ष 2015–2016 से वर्ष 2017–2018 तक आयोजित डीपीसी में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी कार्मिक को व्याख्याता पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा वर्णित कार्मिक जमील अहमद से तुलना किया जाना अनुचित है क्योंकि उक्त वर्णित का डीपीसी वर्ष 2013–2014 के समय राज्य स्तरीय व्याख्याता वरिष्ठता सूची में नामांकन होने के कारण पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा मण्डल स्थानांतरण उपरांत उक्त वर्ष 2013–14 की डीपीसी आयोजन के समय तक नामांकन नहीं करवाया गया और ना ही सेवाकाल में अर्जित की गई योग्यता को वरिष्ठता सूची में नामांकित करवाया गया, इसलिए तत्समय अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र नहीं पाया गया साथ ही यह भी वर्णित किया जाता है कि इसके बाद के वर्षों की डीपीसी (वर्ष 2015–2016, 2016–2017 एवं 2017–2018) में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी कार्मिक का चयन नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 08.11.2000 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ

और उसने एम.ए की परीक्षा वर्ष 2002 में अर्जित की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध व्याख्याता उर्दू के पद पर पदोन्नति चाही है। प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद से व्याख्याता के पद पर डीपीसी वर्ष 2013–14 में पदोन्नति प्रदान नहीं करने का मुख्य कारण यह रहा है कि अपीलार्थी ने अन्तर मंडल स्थानान्तरण के पश्चात जयपुर मंडल की वरिष्ठता सूची में अपना नामांकन नहीं कराया एवं न ही वर्ष 2002 मे अर्जित एम.ए. की योग्यता को दर्ज कराने हेतु निर्धारित तरीके से निदेशक, शिक्षा विभाग को आवेदन किया। साथ ही जिसके कारण अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अन्तर मंडल स्थानान्तरण के पश्चात आदेश दिनांक 28.08.2014 (अनुलग्नक–2) द्वारा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग द्वारा अपीलार्थी का जयपुर संभाग में नामांकन स्थायी किया गया। इस आदेश में अपीलार्थी की मंडल स्तर की वरिष्ठता 273 से पूर्व (2)/04–05 निर्धारित होना एवं शैक्षणिक योग्यता बीए इतिहास उर्दू फारसी 94, अजमेर, एम.ए. उर्दू 2002 एमडीएसयू अजमेर एवं बीएड 97 कोटा ऑपन से अंकित है। इस प्रकार जयपुर संभाग में अपीलार्थी का स्थायी नामांकन होकर उसकी मंडल वरिष्ठता का निर्धारण एवं शैक्षणिक योग्यता अद्यतन उक्त आदेश दिनांक 28.08.2014 से किया जा चुका था। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता उर्दू की पदोन्नति की बैठक 22.02.2015 को आयोजित होना प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है। मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूचियों के आधार पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियां बनाई जाती है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी का वर्ष 2013–14 या वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित व्याख्याता उर्दू के पद की पदोन्नति में विचार नहीं करना गलत है। विभागीय गलती से राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में नाम अंकित नहीं होने का दंड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी ने सेवाकाल भी अर्जित शैक्षणिक योग्यता को जुडवाने हेतु समय पर आवेदन नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी के आवेदन पर उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.08.2014 में इसे जोडा जा चुका था एवं वर्ष 2013–14 की व्याख्याता उर्दू की डीपीसी इस आदेश के बाद हुई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग द्वारा जारी स्थायी नामांकन आदेश दिनांक 28.08.2014 के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के संबंध में तत्समय जारी वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम उसकी वरिष्ठता के अनुसार शामिल किया जावे एवं इन वर्षों की व्याख्याता उर्दू के रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में रिव्यू डीपीसी आयोजित

की जाकर अपीलार्थी वरिष्ठता एवं अन्य आधारों पर पदोन्नति हेतु पात्र पाये जाने पर उसे पदोन्नति प्रदान की जावे। इस पदोन्नति के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को व्याख्याता उर्दू की वरिष्ठता सूची में यथोचित स्थान पर शामिल किया जाकर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में उसे शामिल किया जावे एवं वरिष्ठता एवं अन्य निर्धारित बिन्दुओं के दृष्टिगत उसके नाम पर नियमानुसार वर्ष 2018–19 की प्राचार्य की रिक्ति के विरूद्ध विचार किया जावे एवं पात्र पाये जाने पर नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य